न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 63/2017

अनवान

1 देबीलाल पिता मांगीलाल तम्बोली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.......वादी

बनाम

1 रामचन्द्र पिता लक्ष्मण गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 दी सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बेंक लि. भीलवाडा शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक

3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :::– श्री देबीलाल तम्बोली .... वादी मय अधिवक्ता
श्री रामचन्द्र गुर्जर .... प्रतिवादी संख्या 01
विपक्षी संख्या 03............ पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बनेडा

दिनांक 06.06.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 18.09.2017 को एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा में वादी के नाम पर आ. सं. 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5124 कुल किता 06 कुल रकबा 08–14 बीघा भूमि एकल खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसकी वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश दिनांक 16.05.2014 लेकर दिनांक 27.04.2015 को भू अभिलेख निरीक्षक बनेडा से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण की आराजीयात संख्या 5116 रकबा 01–11 बीघा भूमि की पूर्वी सीमा पर करीब रकबा 01–00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। जो वादी के खातेदारी अधिकार की है, पर कब्जा प्रतिवादी रामचन्द्र पिता लक्ष्मण गुर्जर का होना पाया गया। अतः वादी को उसकी क्षर्तिपूर्ति प्रदान करावें तथा प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजीयात से बेदखल करा वादी को कब्जा पुनः सिपुर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरवायी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन/नोटीस विपक्षीगणो को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी द्वारा सुनवाई दिनांक 01.02.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुतिकरण हेतु न्यायालय से समय चाहा। आईन्दा सुनवाई दिनांक 15.02.2018 को अधिवक्ता विपक्षी ने विपक्षी कम 01 की और से जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। सुनवाई दिनांक

03.04.2018 को प्रकरण में तनकी पर्चा कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बनेडा के लिए पंजीबद्ध किया गया। उभयपक्षो को समजाईश के लिए सुचनापत्र जारी किये गये। नियत शिविर पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ने उपस्थित होकर वादपत्र मंजूर किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त की तथा प्रमाण में राजीनामा प्रपत्र पर उभयपक्षो के हस्ताक्षर लिये गये। वादपत्र से सलग्न दस्तावेजात व प्रस्तुत आधार राजस्व अभिलेख व पत्थरगढी मौका पर्चा पर क्रमशः प्रदर्श–01 से प्रदर्श–03 का लाल स्याही से अंकन किया गया। उभयपक्षो ने बहस के दौरान इस बाबत् पर अपनी सहमति व्यक्त की कि विवादित आराजीयात की निष्पक्ष राजस्व अधिकारी से नपती कराई जाने पर वादी की भूमि पर यदि प्रतिवादी संख्या 01 का कोई अनाधिकृत कब्जा होना पाया जाता है, तो उस दशा में वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. उपस्थित उभयपक्षो को सुना गया। चूंकि प्रतिवादी ने दौराने केम्प वादी के वादपत्र को मंजूर किये जाने में सहमति स्वरूप राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादी द्वारा निष्पक्ष अधिकारी/ टीम से आराजीयात की नपती कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एंव खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार वादी वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें में इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा में वादी के नाम पर आ. सं. 5116 रकबा 01–11 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादी को सिपुर्द किया जावें तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड
अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा